P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time Lecturer
Subject - Hindu Marriage Act
Part - First

बौद्ध धर्म में विवाह पद्धति:-

हिन्दू विवाह अधिनियम बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मों के अनुयायियों पर भी लागू होता है। हिन्दू धर्म के मानने वालों के अतिरिक्त धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) में अपेक्षाकृत तीन बड़े समुदायों जो कि विशालता एवं भिन्नता की दृष्टि से धर्म कहे गये हैं, के अनुयायियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात बौद्ध, जैन और सिख भी वैवाहिक मामलों के प्रयोजन से हिन्दू समझे जायेंगे।

बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों समकालीन धर्म है। उत्तर वैदिक काल तथा पौराणिक काल में हिन्दू धर्म में कर्मकाण्डों की जटिलता एवं पुरोहितवाद के बढ़ते प्रभाव को सहन न कर पाने के कारण प्रतिक्रिया के रूप में इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति हुई। कालांतर में बौद्ध सम्प्रदाय भारत में फिर से हिन्दूत्व में विलीन हो गया, जबकि जैन धर्म अपना पृथक अस्तित्व में है।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में बढ़ते पाखण्ड का विरोध किया एवं प्रगतिशीलता के पक्ष में प्रचार किया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए जो मार्ग निर्धारित किया वह कर्मकाण्ड की अपेक्षा शुद्धता एवं सदाचरण तथा अहिंसा पर अधिक बल देता है।

बौद्ध धर्म में विवाह की पद्धति में पंचशील का आधारभूत महत्व है। पंचशील का अर्थ है पाँच प्रतिज्ञाओं का पालन करना। वर एवं वधु दोनों विवाह के समय एक दूसरे के समक्ष पाँच प्रतिज्ञायें भिक्षु की उपस्थिति में करते हैं तथा उन्हें निभाने का वचन देते हैं। वर द्वारा की जाने वाली पाँच प्रतिज्ञायें निम्नवत है:-

(1) "सम्माननाय" — अर्थात मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूँगा।
(2) "अनवमाननाय" अर्थात मैं अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा।
(3) "अनतिचरियाय" अर्थात मैं कभी भी अनाचरण यथा मिथ्या आचार, मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना और अवैध कामाचार नहीं करूँगा।

Scanned with CamScanner

P-2 बौद्ध धर्म में विवाह पद्धति

(4) "इस्सरिय वोस्सग्गेन" — अर्थात मैं अपनी पत्नी को अपने उपार्जित धन से सदा संतुष्ट रखूँगा।

(5) "अलंकारानुप्पदानेन" — अर्थात मैं अपनी पत्नी को अलंकार आभूषण वस्त्र इत्यादि से सदा संतुष्ट रखूँगा।

वर द्वारा उपरोक्त पाँच प्रतिज्ञायें करने के बाद भिक्षु की उपस्थिति में वधु द्वारा भी पाँच प्रतिज्ञाये की जाती है जो इस प्रकार है —

(1) "सुसंविहित कम्मन्ता च होति" — अर्थात मैं अपने वर के सभी कामो को आलस्य रहित होकर विधिपूर्वक करूँगी।

(2) "संग हित परिजना च" — अर्थात मैं अपने परिवार तथा आत्मीय सम्बन्धियों को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखूँगी।

(3) "अनतिचारिणी" — अर्थात मैं मिथ्या कामाचार और विषयों से विरत रहकर अपने पति की विश्वासपात्र रहूँगी।

(4) "संभृत अनुरक्खति" — अर्थात मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन-सम्पदा की सदा रक्षा करुँगी।

(5) "दक्खा च होति अनलसा च सब्ब किच्चेसु" — अर्थात मैं सभी कार्य दक्षतापूर्वक आलस्यहीन होकर करती रहूँगी।

उपरोक्त प्रतिज्ञायें पूर्ण करने के पश्चात वर एवं वधु खड़े होकर खड़े होकर एक दुसरे को माला पहनायेंगे। पहले वधु वर को माला पहनायगी उसके बाद वर वधू को माला पहनायेंगे और इस प्रकार एक दुसरे के आसन पर आकर बैठेंगे। इसके पश्चात कन्या का दाहिना हाथ उसके पिता द्वारा वर के दाहिने हाथ में रखा कर पिता यह कहता है कि वह भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष और समस्त आगन्तुकों को साक्षी करके अपनी लड़की को वर को समर्पित करता है और आज के बाद उसकी लड़की वर की सहधर्मी होगी, सुख दुःख में सदा जीवन संगिनी रहेगी और वर भी उसकी कन्या को प्रसन्न रखने के लिए आजीवन संरक्षण में रखेगा। इस प्रकार की प्रार्थना कन्या के पिता द्वारा की जाती है जिसके पश्चात वर स्वीकृति पूर्वक सिर झुकाकर उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता है और वर वधु के कंधे पर अपना बाँया हाथ रख कर दाहिने हाथ से उसके मस्तक पर सौभाग्य सिन्दुर लगाता है और वधु की हथेली अपने हाथ में लेकर सप्रेम अपनी अंगूठी

Scanned with CamScanner

E3 बौद्ध धर्म में विवाह पद्धति

पहनाता है और इस प्रकार बौद्ध धर्म में विवाह सम्पन्न समझा जाता है। बौद्ध धर्म में विहित इस विवाह पद्धति में हिन्दू धर्म की छाप स्पष्ट है। इसमें कहीं भी यह आभास नहीं है कि पति पत्नी अपने जीवन काल में एक दूसरे से अलग रहें। अर्थात इस विवाह में तलाक की अवधारणा का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध विवाह में अनुष्ठापित कर्म कांड भी इसे संस्कार तुल्य स्थिति प्रदान करते हैं। दाम्पत्य जीवन के भावनात्मक पक्ष को प्रधानता दी गई है। अत: मूल रूप में यह अवधारणा विवाह को संस्कार मानने की हिन्दू धर्म की अवधारणा के समान है।

Scanned with CamScanner